भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2777

(दिनांक 20.12.2023 को उत्तर के लिए)

सामान्य सहमति वापस लेना

2777. श्री ए. के. पी. चिनराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन राज्यों की सूची क्या है जिन्होंने मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 में संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : निम्नलिखित दस (10) राज्यों ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की जांच करने की सामान्य सहमति वापस ले ली है :

1) पंजाब
2) झारखंड
3) केरल
4) राजस्थान
5) छत्तीसगढ़
6) पश्चिम बंगाल
7) मिजोरम
8) तेलंगाना
9) मेघालय
10) तमिलनाडु

(ख) : जी नहीं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

*****